विभाग का नामः	पंचायती राज
प्रश्न संख्या तारांकितः	* 2980
उत्तर की तिथीः	10 सितम्बर, 2020
विषयः	पंचायतों का पुनर्गठन
प्रश्न कर्ता का नाम	श्री हीरालाल(करसोग), श्री इन्द्र दत लखनपाल(बड़सर) व श्री विनयकुमार (श्री रेणूका जी)
सम्बन्धित मन्त्रीः	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क)सरकार प्रदेश में नई पंचायतों का गठन करने का विचार रखती है; यदि हां, तो किन मापदण्डों के आधार पर नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा; ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, बड़सर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी पंचायतों के पुनर्गठन प्रस्ताव हुए थे इनमें से कितनी पंचायतों का पुनर्गठन किया गया व कितनों का नहीं व किस आधार पर किया गया; ब्यौरा दें; और	
(ग) क्या कोई ऐसी भी पंचायतें शेष बची है; जो कि सारे मापदण्ड पूरा करती हैं लेकिन उन्हे अलग नहीं किया गया; यदि हां, तो इन पंचायतों की जनसंख्या को देखते हुए क्या सरकार उन्हे दोबारा पुनर्गठित करने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?	

श्री हीरा लाल (करसोग), श्री इन्द्र दत लखनपाल (बड़सर) और श्री विनय कुमार (श्री रेणूका जी) द्वारा पुछे गए तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या *2980 से सम्बन्धित सभा पटल पर रखी गई सूचना

(क) जी हां। सरकार नई पंचायतों के गठन का विचार रखती हैं।
सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन हेतु निम्न अनुसार मापदण्ड निधारित किए गए है:

Criteria for non- tribal areas

A) New Gram Sabhas from those existing Gram Sabhas will be created total population of which is equal to and more than 2000, number of household equal to and more than 500, number of villages equal to and more than 5 and distance of the farthest village from the existing headquarter of the Gram Sabha is equal to and more than 5 km subject to the condition that minimum resultant population of the existing and newly proposed Gram Sabha before and after bifurcation is minimum 1000.

Criteria for Backward areas

B) Area having minimum population of 1800, number of household equal to and more than 400 and distance of farthest village from existing Headquarter of Gram Sabha is equal to and more than 4 km. subject to the condition that minimum population of the existing and newly proposed Gram Sabha before and after bifurcation is minimum 600.

Criteria for tribal areas

C) New Gram Sabhas from those existing Gram Sabhas will be created total population of which is equal to and more than 750, subject to the condition that minimum resultant population of the existing and newly proposed Gram Sabha before and after bifurcation is minimum 300.

(D) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3(1) के प्रावधानानुसार सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे गांव या समीपस्थ गांव के समूह को जिनकी जनसंख्या एक हजार से कम न हो और पांच हजार से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी और इसका मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में सरकार, आदेश द्वारा किसी गांव को या समीपस्थ गांव के समूह को, जिसकी जनसंख्या 1000 से कम है, सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी:

परन्तु यह और कि सरकार, भौगोलिक अवस्थिति, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखने के पश्चात् किसी गांव या समीपस्थ गांव के समूह में समाविष्ट क्षेत्र को, चाहे उसकी जनसंख्या एक हजार से कम हो या पांच हजार से अधिक हो, सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी।

(ख) प्रदेश में कुल 325 ग्राम सभाओं का विभाजन/गठन किया गया है। बड़सर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 4 ग्राम सभाओं के विभाजन/पुनर्गठन की प्रस्तावना प्राप्त हुई थी, जिसमें की 3 ग्राम सभा मोरसू सुल्तानी, सौर व समताना कलां का गठन मापदण्डों अनुसार किया गया। क्यारा बाग ग्राम सभा की जनसंख्या 1840, परिवारों की संख्या 557, ग्रामों की संख्या 12 तथा सबसे दूर ग्राम की दूरी 5 कि0 मी0 है किन्तु निर्धारित मापदण्ड अनुसार वर्तमान ग्राम सभा की जनसंख्या व नव प्रस्तावित ग्राम सभा की जनसंख्याा (986) कम होने के कारण इसका विभाजन/पुर्नगठन नहीं हुआ।

(ग) दिनांक 22.8.2020 तक विभाग में कुल 486 प्रस्तावनाएं प्राप्त हुई थी उन सभी प्रस्तावनाओं का उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार आंकलन किया गया तथा यह पाया गया कि कुल 486 प्रस्तावनाओं में से 230 ग्राम पंचायतें विभाजन/पुनर्गठन के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करती है अतः 230 नई ग्राम पंचायतों के गठन की

अधिसूचना दिनांक 22.8.2020 को जारी की गई। किन्तु ग्राम पंचायत अम्ब के नगर पंचायत घोषित होने के फलस्वरूप उक्त ग्राम सभा के विभाजन की अधिसूचना को निरस्त किया गया है जिसके कारण नई ग्राम पंचायतों की संख्या 229 रह गई है। इसके अतिरिक्त 96 ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विशेष मापदण्डों के अनुसार जैसे कि भौगोलिक स्थिति, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा के मध्यनजर दिनांक 27.08.2020, 28.08.2020, 05.09.2020 तथा 07.09.2020 को अधिसूचित किया गया है और कुल नई ग्राम पंचायतों की संख्या 325 हो गई है। 22.08.2020 के पश्चात प्राप्त लम्बित प्रस्तावनाओं पर अब सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि अब यह प्रक्रिया बन्द कर दी गई है।

****